80/

संख्या 915 /XXX(2)/2012

प्रेषक,

डी.के.कोटिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मा. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री इरशाद हुसैन,
13/36, इरशाद मंजिल, लाइन नं. 01,
आजाद नगर, हल्द्वानी, पिन–263139

कार्मिक अनुभाग–2

दिनांक : सितम्बर 19 ; 2012

विषय :– राज्याधीन लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण विषय पर राज्य सरकार द्वारा गठित एकल सदस्यीय आयोग के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं रूपान्तरण आदेश) 2001' की धारा 3(7) के विरूद्ध मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 45/(एस./बी.)/2011 विनोद प्रकाश नौटियाल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा अन्य सम्बद्ध रिट याचिकाओं में पारित मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2012 के आलोक में राज्याधीन लोक सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने हेतु मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम.नागराज व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार राज्य के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग को 'पिछड़ापन', लोक सेवाओं में 'प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता' तथा 'प्रशासन की कुशलता' के बिन्दुओं पर आंकड़े संग्रह करके उसका अध्ययन कर उक्त वर्गों के लिए लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण विषय पर राज्य सरकार को 03 माह के अन्दर संस्तुति एवं रिपोर्ट देने हेतु शासन की अधिसूचना संख्या 903/XXX(2)/2012, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 द्वारा आपकी अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग गठित किया गया है।

2. शासन द्वारा निर्गत की गई उक्त अधिसूचना के उपरान्त शासन द्वारा अनुवर्ती अधिसूचना संशोधन संख्या 914 /XXX(2)/2012, दिनांक 19 सितम्बर, 2012 द्वारा आयोग के परामर्श हेतु एक अतिरिक्त बिन्दु भी निर्दिष्ट करते हुए इस अतिरिक्त बिन्दु पर आयोग का परामर्श 10 अक्टूबर, 2012 तक दिए जाने का अनुरोध किया गया है। शासन द्वारा निर्गत किए गए उक्त दोनों अधिसूचनाओं की छायाप्रतियाँ पत्र के साथ संलग्न हैं।

3. अनुरोध है कि कृपया शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णयों के क्रम में एकल सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए आयोग से अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन प्रारम्भ करते हुए आयोग की संस्तुति एवं रिपोर्ट उपरोक्तानुसार यथासमय राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी.के.कोटिया)
प्रमुख सचिव।

संलग्नक–यथोक्त,

संख्या 915(1)/XXX(2)/2012/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल को महामहिम श्री राज्यपाल के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, विधानसभा को मा. अध्यक्ष, विधानसभा के संज्ञानार्थ।
4. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा.मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
6. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।